न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 92/2018 **दायर दिनांकः 04/05/2018**

उनवान

1. योगेन्द्र कुमार आयु 43 वर्ष पुत्र दिलीप कुमार जाति अहीर निवासी ग्राम मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री ओमप्रकाश राठौर।

आदेश दिनाक : 06/11/2019

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके माल मोठपुर तहसील अटरू की भूमि खाता संख्या 254 में आराजी ख0नं0 1419 रकबा 0.21 है0 ख0नं0 1420 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 1421 रकबा 0.07 है0 ख0नं0 1422 रकबा 0.10 है0 ख0नं0 1429 रकबा 0.24 है0 ख0नं0 1430 रकबा 0.30 है0 कुल किता 6 रकबा 1.62 है0 एवं खाता संख्या 87 की ख0नं0 538 रकबा 12.28 है0 भूमि स्थित है। जिस पर प्रार्थी अपने पिता के समय से काबिज चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का इंतकाल खुलवाते समय सहवन से प्रार्थी का नामा योगेश कुमार दर्ज हो गया है, जबकि प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, राशनकार्ड, परिचय पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजात में योगेन्द्र कुमार दर्ज है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर प्रार्थी का नाम योगेन्द्र कुमार के स्थान पर योगेश कुमार दर्ज हो जाने से प्रार्थी को बैंक के0सी0सी0 एवं अन्य सरकारी लाभों से वंचित होना पड रहा है। प्रार्थी के पहचान दस्तावेजों मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम योगेन्द्र कुमार दर्ज है। इसलिए प्रार्थी कृषि आराजी के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम योगेश कुमार के स्थान पर योगेन्द्र कुमार दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने कई बार हल्का पटवारी महोदय एवं श्रीमान तहसीलदार साहब से मद नं0 1 में वर्णित आराजी में अपना नाम संशोधन करवाने हेतु निवेदन किया। लेकिन उन्होने प्रार्थी का नाम शुद्ध करने को कहा तो उन्होंने सक्षम

न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने को कहा। प्रार्थी की आराजी ग्राम मोठपुर तहसील अटरू में होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित कोर्टफीस पर प्रस्तुत है। अन्य कारण वक्त बहस मौखिक निवेदन किए जाऐगें।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके माल मोठपुर तहसील अटरू की भूमि खाता संख्या 254 में आराजी ख0नं0 1419 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 1420 रकबा 0.07 है0 ख0नं0 1421 रकबा 0.07 है0 ख0नं0 1422 रकबा 0.10 है0 ख0नं0 1429 रकबा 0.24 है0 ख0नं0 1430 रकबा 0.30 है0 कुल किता 6 रकबा 1.62 है0 एवं खाता संख्या 87 की ख0नं0 538 रकबा 12.28 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम योगेश कुमार के स्थान पर योगेन्द्र कुमार दर्ज किए जाने की कृपा करें एवं श्रीमान तहसीलदार साहब को रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम योगेन्द्र कुमार दर्ज करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जर्ये की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि बिन्दु संख्या 1 प्रार्थी का कथन स्वीकार है कि ग्राम मोठपुर खाता 254 किता 6 रकबा 1.62 है0 भूमि प्रार्थी के पिता दिलीप कुमार के नाम खातेदारी में दर्ज है। बिन्दु संख्या 2 स्वीकार है कि प्रार्थी के पिता की मृत्यु होने पर कुलदीप कुमार, योगेश कुमार पुत्र व लाड बाई पुत्री दिलीप कुमार का नाम वादियान में दर्ज हुआ है। जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड में नाम योगेन्द्र कुमार अंकित है जो स्वीकार है। बिन्दु संख्या 3 दुरूस्ती आदेश न्यायालय से सम्बन्धित है। बिन्दु संख्या 4 न्यायालय से सम्बन्धित है। बिन्दु संख्या 5 न्यायालय से सम्बन्धित है। बिन्दु संख्या 6 क्षैत्राधिकार से सम्बन्धित है। बिन्दु संख्या 7 न्यायालय से सम्बन्धित है।

अतः योगेश कुमार के स्थान पर योगेन्द्र कुमार किया जाना उचित है।

साक्ष्यवादी के तहत् PW_1 के वयान लेखबद्ध किये। अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ को दोहराया तथा आराजी ग्राम मोठपुर की खाता संख्या 254 किता 6 रकबा 1.62 है0 एवं खाता सं0 87 ख0नं0 538 रकबा 12.28 है0 राजसव रिकार्ड मूं प्रार्थी का नाम योगेश कुमार के स्थान पर योगेन्द्र कुमार दर्ज किया जावें। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड परिवार राशन कार्ड, पहचान पत्र (निर्वाचन) भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र आदि में प्रार्थी का नाम योगेन्द्र कुमार दर्ज है।

अतः रिकार्ड साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आराजी ग्राम मोठपुर की खाता संख्या 254 किता 6 रकबा 1.62 है0 व खाता संख्या 87 की किता 1 रकबा 12.28 है0 में सहखातेदार योगेश कुमार के स्थान पर योगेन्द्र कुमार दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है, कि राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करें। राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2019.12.10 17:35:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: